उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ–226005
Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005

पत्रांकः 1013/एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनाँक:06.11.2024

दिनांक : 06 नवम्बर, 2024
समय : 12:00 बजे
स्थान : उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की सत्रहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियाँ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की सत्रहवीं बैठक डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 06 नवम्बर, 2024 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर; चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक तथा व्हीट ब्रीडर एवं पादप रोग वैज्ञानिक; मत्स्य विभाग; कृषि विभाग; उद्यान विभाग; आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ; राहत आयुक्त, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, लखनऊ तथा उपकार के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा; नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, शुआट्स, प्रयागराज; रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी; सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय,मेरठ के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

मौसम पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह (06 से 13 नवम्बर, 2024) के दौरान प्रदेश में आसमान मुख्यतया साफ तथा मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के सभी कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तथा मध्य–पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र तथा विंध्य क्षेत्र में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस; भाभर तराई क्षेत्र में यह 29 से 31 डिग्री सेल्सियस; मध्य मैदानी क्षेत्र, उत्तरी–पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस; बुंदेलखण्ड क्षेत्र तथा दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षत्रों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

इस दौरान प्रदेश के सभी कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य–पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर–पूर्वी मैदानी क्षेत्र तथा विंध्य क्षेत्र में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखण्ड क्षेत्र तथा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

कृषि विभाग, उ.प्र. द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल रबी की बुवाई का लक्ष्य 135.87 लाख हे. के सापेक्ष कुल रबी फसलों की बुवाई 18.38 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 13.53 प्रतिशत है गेहूँ के आच्छादन लक्ष्य 101.12 लाख हे. के सापेक्ष 1.53 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 1.52 प्रतिशत है। जौ के आच्छादन लक्ष्य 1.74 लाख हे. के सापेक्ष 0.18 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 10.43 प्रतिशत है। मक्का के आच्छादन लक्ष्य 0.58 लाख के सापेक्ष 0.07 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 13.31 प्रतिशत है। चना के लक्ष्य 7.28 लाख हे. के सापेक्ष 3.21 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 44.15 प्रतिशत है। मटर के लक्ष्य 5.02 लाख हे. के सापेक्ष 1.72 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 34.31 प्रतिशत है। मसूर के लक्ष्य 5.98 लाख हे. के सापेक्ष 1.85 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 30.97 प्रतिशत है। तिलहनी फसलों में तोरिया की बुवाई लक्ष्य 4.67 लाख हे. के सापेक्ष 4.46 लाख हे. में बुवाई हुई है जो लक्ष्य का 95.41 प्रतिशत है जबकि

राई–सरसों के 13.47 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 9.47 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 70.37 प्रतिशत है। अलसी के 0.68 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 0.32 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 47.12 प्रतिशत है।

मौसम के परिप्रेक्ष्य में किसानों को फसल प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:–

- खरीफ फसलों की कटाई के बाद फसल अवशेष कदापि न जलायें। इनको लगभग 20 कि.ग्रा. प्रति हे. यूरिया की दर से मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई/पलेवा के समय मिला देने से फसल अवशेष 20 से 30 दिन के भीतर जमीन में सड़ जाते है।
- कृषि विभाग के बीज व कृषि रक्षा केन्द्रों से डीकम्पोजर प्राप्त कर फसल अवशेषों पर स्प्रे करके खेतों में सड़ाया जा सकता है।
- भूमि एवं बीज जनित रोगों के नियंत्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड ट्राइकोडर्मा विरडी 1 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा ट्राइकोडर्मा हारजिएनम 2 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 कि.ग्रा. प्रति हे. 60 से 75 कि.ग्रा. सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी कार छींटा देकर 8 से 10 दिन तक छाया में रखने के उपरांत बुवाई के पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देने से अनावृत कण्डुआ करनाल बंट आदि रोगों के प्रबंध में सहायता मिलती है।
- खेत की मेड़ों व नालियों को खरपतवारों से मुक्त रखें।
- रबी फसलों के उन्नत प्रजातियों का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता एवं समय विशेष के अनुसार किया जाय। गेहूं के अधिक उत्पादन के लिये बुवाई 15 नवम्बर से पहले करें।
- रबी फसलों की बुवाई के लिये चयनित किस्म का स्वस्थ, शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। यदि प्रमाणित बीज उपलब्ध न हो तो बीज शोधन के बाद ही बुवाई करें। हर तीसरे वर्ष बीज अवश्य बदल लिये जाय।
- रबी फसल गेहूं में मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाय यदि पूर्व फसल में बुवाई के समय जिंक का प्रयोग न किया गया हो तो जिंक सल्फेट का प्रयोग खड़ी फसल में संस्तुति के अनुसार किया जाय।
- शरदकालीन गन्ना के साथ अंतःफसल के रूप में आलू, पीली सरसों, सब्जी मटर, मसूर आदि की अंतःफसली खेती अवश्य करें। अंतःफसल की किस्म ज्यादा वानस्पतिक फैलाव वाली नहीं होनी चाहिये।
- भारत सरकार द्वारा नवीनतम AI/ML तकनीक का उपयोग करते हुये लक्षित कीटों/फसल संयोजनों के लिये जी.आई.एस. आधारित नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम (NPSS) मोबाईल ऐप विकसित किया गया है इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर/आई.ओ.एस. प्ले स्टोर में NPSS टाइप कर डाऊनलोड किया जा सकता है। इस ऐप द्वारा महामारी के प्रसार, कीट/रोग की पहचान, कीट हॉट स्पॉट की पहचान आदि के बारे में जानकारी ली जा सकती है जिससे किसानों को कीट रोग प्रबंधन, आर्थिक क्षति स्तर आधारित निर्णय लेने के लिये समय पर विशेषज्ञ सलाह मिल सकेगी।

धान की खेती

- धान की फसल की कटाई 90 प्रतिशत परिपक्वता आने पर या धान की बालियों का सुनहरा रंग प्राप्त होने की अवस्था में करें अन्यथा दाना बिखरने से उत्पादकता में कमी आ सकती है।
- धान के बीज का भण्डारण 10 से 12 प्रतिशत नमी पर (दांत से काटने पर कट की आवाज आने पर) करें।

गेहूँ की खेती

- सिंचित दशा में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये गेहूं की प्रजातियों जैसे डी.बी.डब्लू. 187 (करण वंदना), पी.बी.डब्लू.–826, एच.डी.–3249, के.–1006, एच.डी.–2967, के.–0307, डी.बी.डब्लू.–39, डी.बी.डब्लू. 222 (करणनरेन्द्र), डी.बी.डब्लू. 303 (करण वैष्णवी), डब्लू.एच.–1105, डब्लू.एच.–1270 आदि की बुवाई 15 नवम्बर तक कर दें।
- प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिये संस्तुत किस्मों जैसे के.–1616, के.–1317, डी.एल.–803–3, राज–1555, एच.आई.–8381, एच.आई.–8498, के.–9107, डब्लू.एच.–147, जी.डब्लू.–273, जी.डब्लू.–322 की बुवाई करें।
- ऊसरीली भूमि में बुवाई हेतु संस्तुत किस्मों जैसे– के.आर.एल.–283, के.आर.एल.–19, के.आर.एल.–210 एवं के.आर.एल.–213 आदि की बुवाई 20 नवम्बर तक करें।
- मौसम के बदलते परिवेश में सिंचित दशा में समय से बोई जाने वाली ताप सहिष्णु संस्तुत किस्मों एच.डी. –3293, डी.बी.डब्लू.–327 (करण शिवानी), डी.बी.डब्लू.–107, डी.बी.डब्लू.–90 (ई), डब्लू.–1105, सी.बी.डब्लू. –38 की बुवाई करें।

- कठिया गेहूं (ड्यूरम गेहूं) की सिंचित दशा में बुवाई हेतु संस्तुत किस्मों पी.बी.डब्लू.–34, पी.बी.डब्लू.–215, पी. बी.डब्लू.–233, एच.आई.–8381, एच.आई.– 8713, एच.आई.–8737, एच.आई.–8759, यू.पी.–2784, जी. डब्लू.–273, एच.डी.–4728, एच.डी.–943 आदि की बुवाई करें।
- गेहूं की बुवाई 20 से.मी लाईन से लाईन की दूरी एवं 5 से.मी. की गहराई पर पर्याप्त नमी रहते करें।
- सकरी एवं चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के एक साथ नियंत्रण हेतु पेण्डीमेथलीन 30 प्रतिशत ई.सी. की 3.3 लीटर प्रति हे. की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के बाद 3 दिन के अंदर छिड़काव करें।

जौ की खेती

- जौ की असिचिंत दशा में बुवाई का समय 10 नवम्बर तक है। अतः छिलकायुक्त संस्तुत किस्मों आर.एस.–6, के–125 (आजाद), के.–560 (हरीतिमा), के–603 व छिलकारहित किस्म के–1149 (गीतांजली) की बुवाई यथाशीघ्र करें।
- जौ की सिंचित दशा के लिये छिलकायुक्त संस्तुत किस्मों जैसे के.–1055 (प्रखर), के.287 (जागृति), के. –409 (प्रीति), नरेन्द्र जौ–एन.डी.बी.–940, एन.डी.बी.–1173, एन.डी.बी.–1145 व छिलकारहित संस्तुत किस्म एन.डी.बी.–943, मार्ट हेतु संस्तुत किस्म डी.डब्लू.आर.–28, के.–551 (ऋतम्भरा), डी.बी.डब्लू.आर.बी.–101, डी.बी.डब्लू.आर.बी.–137 की बुवाई करें।

रबी मक्का की खेती

- रबी मक्का की संकर प्रजातियों यथा पी.एम.एच.–3, एच.क्यू.पी.एम.–1, सीडटेक–2324, शक्तिमान–1, बुलन्द, संकुल मक्का की किस्मों शरदमणी, शक्ति–1 लावा हेतु पर्ल–पॉपकॉर्न, शियाट्स मक्का–3, मीठी मक्का की प्रिया स्वीट कॉर्न व माधुरी स्वीट कॉर्न तथा शिशु मक्का हेतु एच.एम.–4 व आजाद कमल प्रजातियों की बुवाई करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- विलम्ब से बुवाई करने के लिये राई/सरसों की वरदान, राधिका व आर्शीवाद प्रजातियों का चयन करें।
- बुवाई से 15 से 20 दिन अंदर घने पौधों को निकालकर (थिनिंग) उनकी आपसी दूरी 15 से.मी. कर देना आवश्यक है।
- राई सरसों में पहली सिंचाई के बाद नत्रजन की शेष मात्रा की टॉपड्रेसिंग करें।
- अलसी की बीज उद्देशीय उन्नतिशील किस्मों यथा रजनी, यूटेरा अलसी, जे.एल.एस.–95, मऊ आजाद, शारदा, शेखर, पद्मिनी, उमा, इंदू, उत्तेरा अलसी–2, राजन तथा कोटा अलसी–6 तथा द्विउद्देशीय किस्मों यथा रूचि, पार्वती तथा रश्मि, आजाद, प्रज्ञा की बुवाई करें।

चना की खेती

- चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु देशी संस्तुत प्रजातियों यथा अवरोधी, पूसा–256, के.डब्लू.आर.–108, डी.सी.पी. 92–3, के.डी.जी.–1168, जी.एन.जी.–1958, जे.पी.–14, जी.एन.जी.–1581, पूर्वी उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति गुजरात चना–4, मैदानी क्षेत्रों हेतु के–850, पश्चिमी उ.प्र. हेतु आधार (आर.एस.जी.–936), डब्लू.सी.जी.–1, डब्लू.सी.जी.–2 तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत प्रजातियों राधे व जे.जी.–16 तथा काबुली चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति एच.के–94–134 पूर्वी उ.प्र. हेतु पूसा–1003, पश्चिम उ.प्र. हेतु चमत्कार (वी.जी.–1053) तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत जी.एन.जी.–1985, उज्जवल व शुभ्रा प्रजातियों की बुवाई करें।

मटर की खेती

- सम्पूर्ण उ.प्र. के लिये मटर की किस्मों यथा आई.पी.एफ.डी. 13–2, आई.पी.एफ.डी. 12–8, आई.पी.एफ.डी. 6–3, आई.पी.एफ.डी. 9–2, मालवीय मटर–15, पश्चिमी उ.प्र. हेतु जय (के.पी.एम.आर–522), हरियाल, पंत पी–42, पंत पी–250, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र हेतु दन्तीवाडा मटर–1, एच.एफ.पी.–529, आई.पी.एफ. हरित 16–13, बुन्देलखण्ड हेतु प्रकाश, आई.पी.एफ.डी. 11–15, आई.पी.एफ.डी. 12–2, आई.पी.एफ.डी. 2014–2 की बुवाई करें।

राजमा की खेती

- उ.प्र. के पूर्वी क्षेत्र में राजमा की बुवाई हेतु संस्तुत किस्मों यथा अम्बर, उत्कर्ष की बुवाई यथाशीघ्र समाप्त करें।

गन्ना की खेती

- शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु प्रदेश में स्वीकृत गन्ना किस्मों यथा को.शा.–13235, को.लख.–14201 को. 15023, को.लख.–16470, को.लख.–16202, को.शा.–17231, को.शा.–16233, को.से.–13452 तथा सी. ओ. 0118 की बुवाई 15 नवम्बर तक पूर्ण करें।

- सिंगल बड द्वारा तैयार गन्ने की नर्सरी की पौध की रोपाई खेत खाली होने पर तुरंत करें, लाइन से लाइन की दूरी 4 फुट तथा पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट रखें।
- बुवाई के समय मृदा उपचार ट्राइकोडर्मा 10 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अवश्य करें। लाल सड़न रोग से प्रभावित खेत में गन्ने की बुवाई न करें तथा पेड़ी भी न लें। पेड़ी में ट्रैश मल्चिंग करें।
- बीज गन्ने का उपचार बावस्टिन 0.1 प्रतिशत अथवा थायोफिनेट मिथाईल 0.1 (1 ग्राम प्रति ली. पानी) प्रतिशत से अवश्य करें।
- चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति करते समय गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें।
- गन्ने की कटाई तभी करें जब सप्लाई टिकट का एस.एम.एस. आपके मोबाईल पर आ जाय।

सब्जियों की खेती

- रबी सब्जियों यथा गोभीवर्गीय फसलें, शिमला मिर्च, टमाटर आदि की डालें तथा पूर्व में रोपित पौध में निराई–गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, टॉप ड्रेसिंग एवं आवश्यकतानुसार सिचाई करें।
- फलगोभी तथा पत्तागोभी की खड़ी फसल में 50 कि.ग्रा. यूरिया/हे. की दर से टॉपड्रेसिंग करें।
- मटर की किस्मों यथा अर्किल, पंत मटर–155, पूसा श्री, काशीनंदनी, काशीउदय, काशीमुक्ति, आजाद मटर–1, आजाद मटर–3, अर्लीबैजर, काशी अगेती, पूसा मटर–3 आदि की बुवाई करें।
- लहसुन की उन्नतशील किस्मों यथा एग्रीफाउन्ड व्हाईट, यमुना सफेद (जी–1), यमुना सफेद–2 (जी–50), यमुना सफेद–3 (जी–282), पंत लोहित एवं एग्रीफाउन्ड पार्वती की बुवाई करें।
- रबी प्याज की संस्तुत प्रजातियों यथा भीमाकिरन, भीमाशक्ति, भीमाश्वेता, कल्याणपुर लाल गोल, पूसा रत्नाकर, एग्रीफाउन्ड लाइट रेड, एग्रीफाउन्ड व्हाईट, अर्कानिकेतन, पूसा मधुवी तथा अर्ली ग्रेनो की नर्सरी डालने हेतु बीज की व्यवस्था करें।
- मसाले वाली फसलें जैसे–धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, जीरा तथा सोया की बुवाई का उचित समय है।
- पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर की संस्तुत प्रजातियों की बुवाई करें।

आलू की खेती

- बुवाई के 7–10 दिन पहले शीत भण्डार से बीज आलू को बाहर निकालें। शीत भण्डारण में भण्डारित बीज में यदि अंकुर निकल आये तो उनको छांटकर अलग कर दें। यदि शीत गृह में भण्डारण करने से पूर्व आलू उपचारित न किया गया हो तो शीतगृह से आलू निकालकर छांटने के तुरंत बाद आलू के कंदों को बोरिक एसिड के 3 प्रतिशत घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सुखा लें। अंकुरित आलू बीज को उपचारित न करें।
- आलू में पछेती झुलसा से बचाव हेतु ट्राईकोडर्मा 4 से 6 ग्रा. प्रति लीटर पानी की दर से अथवा मेटालेक्जिल समूह के फफूंदनाशी 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से उपचारित करें।
- आलू की उन्नत किस्मों यथा कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी आनंद, कुफरी सतलज, कुफरी चिपसोना–1, कुफरी चिपसोना–3, कुफरी लालिमा, कुफरी सूर्या व कुफरी सदाबहार की बुवाई करें।
- आलू बीज उत्पादन हेतु सम्पूर्ण कंद की बुवाई सुनिश्चित करें।

बागवानी की खेती

- केले में वर्तमान मौसम में बीटिल कीट का प्रकोप हो सकता है जिसके नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस (1.25 मि. ली. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें अथवा कार्बोफ्यूरॉन 3–4 ग्राम प्रति पौधे की दर से गोफे में तथा मिट्टी में मिलायें।
- आम के बाग में प्रथम 10 वर्षों तक अधिक लाभ के लिये अन्तः फसल के रूप में आलू, मिर्च, टमाटर, मटर तथा ग्लेडियोलस की खेती करें।
- आंवले में फलसड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स (6 से 8 ग्रा. प्रति लीटर पानी) को छिड़काव करें तथा उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का थालों में प्रयोग करें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 2 से 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

मशरूम की खेती

- मशरूम की ढ़िगरी प्रजाति की खेती नवम्बर के अंत तक पूर्ण करें।

- जिन व्यक्तियों ने बटन मशरूम के लिये कम्पोस्ट तैयार कर लिया है वह जल्दी से जल्दी स्पानिंग कर दें।

पशुपालन

- खुरपका एवं मुंहपका बीमारी (एफ.एम.डी.) का टीकाकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में 8 दिसम्बर तक निशुल्क चलाया जा रहा है।
- विभागीय प्रक्षेत्रों पर जई तथा बरसीम का बीज निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध है अतः पशुपालक/कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रबी मौसम में पशुपालकों/कृषकों को बरसीम प्रमाणित चारा बीज मिनी किट निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
- पं.दीन दयाल उपाध्याय मेले का आयोजन मण्डल/जिला एवं विकास खण्ड के ग्रामों में आयोजित किया जा रहा है जिसमें निशुल्क चिकित्सा, दवापान एवं गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं. –1962 पर सम्पर्क पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

मत्स्य पालन

- तालाब में मछलियों के लिये पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के शरीर के भार के 1.8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं करें।
- तालाब में मृदा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मृदा प्रोबायोटिक्स अथवा 10 कि.ग्रा प्रति एकड़ की दर से जियोलाईट का प्रयोग नमीयुक्त बालू में मिलाकर करें।
- कार्प मछलियो वाली तालाब में माह के अंत में जाल अवश्य चलायें।
- मछलियों को संक्रमण से बचाने के लिये प्रति एकड़ 400 ग्रा. पोटेशियम परमैगनेट या 500 मि.ली. ग्राम प्रति एकड़ कर दर से वॉटर सेनेटाईजर का प्रयोग करें।
- तालाब में पानी ज्यादा हरा होने पर चूना एवं रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दें एवं 800 ग्राम कॉपर सल्फेट का प्रयोग पानी में घोलकर करें।

रेशम पालन

- शहतूती सेक्टर में पतझड़ व्यवसायिक क्राप की कीट पालन का कार्य प्रगति पर है। अतः कीटपालकों को सुझाव दिया जाता है कि कीट मोल्ट से बाहर आने के बाद प्रथम फीडिंग के 30 मिनट पूर्व विजेता या आर.के. ओ. का छिड़काव करें, जिससे कीटों में आने वाली बीमारियों को रोका जा सकें।
- कीट पालन ट्रे में रेशम कीट का सही फैलाव करें तथा क्लीनिंग नेट का प्रयोग करते हुये रेशम कीटों का अन्य ट्रे में स्थानांतरण करते हुये साफ सफाई करें।
- टसर सेक्टर में टी.वी. रेश का कीटपालन प्रगति पर है। कीट की पक्षियों, छिपकली एवं जंतुओं से रक्षा हेतु कीट पालन नैट का प्रयोग करना चाहिये।

आपदा प्रबंधन

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 11–11 आपदाएं अधिसूचित की गयी हैं, जिनसे प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि के माध्यम से राहत सहायता वितरित की जाती है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं		उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं	
1	बाढ़	1	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि
2	सूखा	2	आकाशीय विद्युत
3	अग्निकाण्ड	3	आंधी–तूफान
4	ओलावृष्टि	4	लू–प्रकोप
5	भूकम्प/सुनामी	5	नावदुर्घटना
6	बादल फटना	6	सर्पदंश
7	कोहरा एवं शीतलहरी	7	सीवर सफाई/गैस रिसाव
8	चक्रवात	8	बोरवेल में गिरना
9	भू–स्खलन	9	मानव वन्य जीव द्वन्द (जंगली जानवरों का हमला)
10	कीट–आक्रमण	10	कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गढ्ढा, जल प्रपात में डूबना
11	हिमस्खलन	11	वनरोज व सांड के आघात से मृत्यु

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 11–11 आपदाओं के सापेक्ष मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ित परिवारों को रु. 4 लाख की अहैतुक सहायता प्रदान की जाती है। आपदाओं से क्षति के क्रम मे जन–हानि, पशुहानि, मकान हानि, कृषि क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान, खोज एवं बचाव कार्य, रिकवरी एवं पुर्ननिर्माण मद, क्षमता निर्माण इत्यादि भिन्न–भिन्न मदों में राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत राहत वितरित की जाती है।

नोटः– क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट www.kisanmitraup.ai पर भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

(संजय सिंह) 8/11/24
महानिदेशक

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

8-11-24

(विनोद कुमार तिवारी)
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की सत्रहवीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2024 की उपस्थिति

1. डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
3. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ ।
4.
5. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
6. डा. सोमवीर सिंह, व्हीट ब्रीडर, सेक्शन ऑफ रबी सीरियल, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
7. डा. समीर कुमार विश्वास, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
8. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
9. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
10. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ ।
11. डा. यू.पी. शाही, प्राध्यापक मृदा विज्ञान एवं प्रधान अन्वेषक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) (ऑनलाइन)।
12. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आवजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
13. डा. प्रवीन चरन, टेक्नीकल आफीसर, जी.के.एम.एस. परियोजना नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, शुआट्स, प्रयागराज (ऑनलाइन)।
14. डा. अनसुमान सिंह, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।
15. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।
16. डा. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र, पशुपालन, उ.प्र.।
17. श्री गिरीश त्रिपाठी, सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
18. मु. आरिफ, परियोजना प्रबंधक, राहत आयुक्त कार्यालय, एनेक्सी।
19. श्री अमित कुमार, ओ.एस.डी., राहत आयुक्त कार्यालय, एनेक्सी।
20. श्री कुंदन सिंह, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, लखनऊ।
21. श्री नेत्रपाल यादव, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।
22. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ
23. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राप वेदर वॉच ग्रुप, उपकार, लखनऊ।